

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Phone No:- 07762-222911, Fax No. :- 07762222923

Email :- nraigarh@ymail.com website -www.nagarnigamraigarh.com

क्र. ४७९ / निगम सचिव / न.पा.नि. / 2022

रायगढ़, दिनांक २१ / ०३ / 2022

प्रति,

संयुक्त सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
नया मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय:- नगर पालिक निगम रायगढ़ के साधारण सम्मेलन की बैठक दिनांक 25.02.2022 के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

-----0000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 53 (5) अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के साधारण सम्मेलन की बैठक दिनांक 25.02.2022 के प्रस्ताव एवं संकल्प की एक प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. ४७९ / निगम सचिव / न.पा.नि. / 2022

रायगढ़, दिनांक २१ / ०३ / 2022

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाईट में प्रविष्टि हेतु पालनार्थ।
6. जावक लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ एक प्रति सूचनार्थ बोर्ड में चस्पा हेतु पालनार्थ।
7. संबंधित प्रभारी अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

परिशिष्ट

(प्रारूप क देखिये)

विषय:- परिषद सम्मेलन का बैठक आयोजित किये जाने बाबत।

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि महापौर जी एवं सभापति जी के निर्देशानुसार परिषद सम्मिलन का आयोजन किया जाना है। जिस हेतु पूर्ववर्ती सम्मिलन के कार्यवृत्ति की पुष्टि करना, यदि उसकी पुष्टि उस सम्मिलन में न हुई हो एवं M.I.C. से अनुशंसित प्रकरणों को सामान्य सभा में रखा जाना है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

(क)	पूर्ववर्ती सम्मिलन के कार्यवृत्त की पुष्टि करना, यदि उसकी पुष्टि उस सम्मिलन में न हुई हो,
क्र.	प्रस्ताव
1.	<u>साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 23.07.2021, समय , 11:30 बजे के प्रस्ताव क्र. 05 :-</u> महापौर परिषद की बैठक दिनांक 21.09.2020 समय दोपहर 04:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 13 :- नगर पालिक निगम स्वामित्व के एडवर्ड हाता दुकान क्रमांक 16,17 एवं 18 श्री बलबीर सिंह सलुजा आ. स्व. बोधराम सिंह सलुजा को आबंटित हैं। श्री बलबीर सिंह सलुजा द्वारा अपने पुत्र श्री सानदीप सिंह सलुजा के नाम से उक्त तीनों दुकानों को नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका नियमानुसार दैनिक समाचार पत्रों में दावा आपत्ति सूचना का प्रकाशन किया गया था। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। में लिये गये निर्णय अनुसार - परिषद की बैठक में रखे जाने की अनुशंसा की जाती है। में लिये गये निर्णय अनुसार - प्रकरण प्रस्तुत हुआ है, चर्चा उपरान्त अगली बैठक में रखा जावे। तदनुसार प्रकरण पुनः प्रस्तुत है।
2.	<u>साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 23.07.2021 के प्रस्ताव क्र 6:-</u> महापौर परिषद की बैठक दिनांक 21.09.2020 समय दोपहर 4 बजे के प्रस्ताव क्रमांक 14:- नगर पालिक निगम स्वामित्व के टाउन हाल हाता दुकान क्रमांक 17 श्री मोहन लाल आ. स्व. रामअवतार के नाम से आबंटित हैं। श्री मोहन लाल की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती नीलम अग्रवाल पति स्व. मोहन लाल अग्रवाल के द्वारा अपने नाम से उक्त दुकान को नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका नियमानुसार दैनिक समाचार पत्रों में दावा आपत्ति सूचना का प्रकाशन किया गया था, निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। में लिए गए निर्णय अनुसार - परिषद में रखे जाने की अनुशंसा की जाती है। में लिये गये निर्णय अनुसार - प्रकरण प्रस्तुत हुआ है, चर्चा उपरान्त अगली बैठक में रखा जावे। तदनुसार प्रकरण पुनः प्रस्तुत है।
3.	<u>साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 23.07.2021 समय 11:30 बजे के प्रस्ताव क्र 11:-</u> महापौर परिषद की बैठक दिनांक 21.09.2020 समय दोपहर के प्रस्ताव क्र. 16:- जिंदल

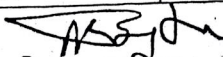
	स्टील एण्ड पावर लिमिटेड रायगढ़ के संपत्तिकर निर्धारण के संबंध में:- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2017 एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 7662 दिनांक 09.07.2019 के अनुसार जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संशोधित संपत्तिकर स्व-निर्धारण विवरणी पत्रक प्रस्तुत किया गया है, उक्त विषय के संबंध में मेयर इन काउंसिल में विचारार्थ प्रस्तुत। में लिये गये निर्णय अनुसार - परिषद की बैठक में रखा जावे। में लिये गये निर्णय अनुसार - प्रकरण प्रस्तुत हुआ है, चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से अगली बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार प्रकरण पुनः प्रस्तुत है।
(ख)	पाषर्दों द्वारा पुछे गए प्रश्न तथा उनके उत्तर:- निरंक
(ग.)	महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार के संबंध में जानकारी:-
4.	महापौर परिषद की बैठक दिनांक 04.10.2021 समय दोपहर 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 01 :- जेल परिसर प्रथम तल दुकान क्र. 40 श्री विशाल जैन, आत्मज:-गुलाब जैन के नाम से आबंटित है। व्यापार में निरंतर क्षति होने तथा घरेलू आर्थिक परेशानी एवं व्यावसाय चलाने में असमर्थ होने के कारण उनके व्यवसाय सहयोगी श्री अंकित श्रीवास पिता मूलचंद श्रीवास के नाम से उक्त दुकान को नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका नियमानुसार दैनिक समाचार पत्रों में दावा आपत्ति सूचना का प्रकाशन किया गया था। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नामांतरण की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। में लिये गये निर्णय अनुसार - प्रकरण प्रस्तुत हुआ। नियमानुसार कार्यालय प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत प्रकरण परिषद बैठक में रखा जावे। तदनुसार प्रकरण प्रस्तुत है।
5.	महापौर परिषद की बैठक दिनांक 04.10.2021 समय दोपहर 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 02 :- एडवर्ड हाता दुकान क्र. 09 एवं 10 श्री तोलाराम आत्मज स्व. खेमचंद के नाम से आबंटित है। श्री तोलाराम का मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री अजय रामानी के द्वारा अपने नाम से उक्त दुकान को नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका नियमानुसार दैनिक समाचार पत्रों में दावा आपत्ति सूचना का प्रकाशन किया गया था निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्रकरण की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। में लिये गये निर्णय अनुसार - प्रकरण प्रस्तुत हुआ। नियमानुसार कार्यालय प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत प्रकरण परिषद में रखा जावे। तदनुसार प्रकरण प्रस्तुत है।
6.	महापौर परिषद की बैठक दिनांक 16.11.2021 समय सायं 04:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 13 :- नगर पालिक निगम, रायगढ़ अधिनस्थ न्यू ऑडिटोरियम भवन का रख-रखाव व्यय आरक्षण शुल्क वसूली से अधिक होने के कारण संचालन किये जाने हेतु मासिक किराये पर तीन वर्षों के लिए ठेका पर भाड़ा निर्धारण हेतु ऑफर दर आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। में लिये गये निर्णय अनुसार - प्रकरण प्रस्तुत हुआ, चर्चा उपरान्त निगम एवं शासकीय कार्यक्रमों हेतु वर्ष में 15 दिन निःशुल्क एवं 15 दिन 50 प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध कराये जाने हेतु परिषद की बैठक में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यालय प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत प्रकरण परिषद में रखा जावे। तदनुसार प्रकरण प्रस्तुत है।
7.	महापौर परिषद की बैठक दिनांक 31.12.2021 समय सायं 04:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 11 :-

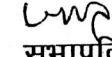
नगरीय प्रशासन एवं विकास, विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर अधिसूचना अनुसार बहुमंजिले आवासीय परिसरो व्यवसायिक, औद्योगिक और संस्थागत भवनों में अनिवार्य रूप से मीटर लगाकर जल आपूर्ति किए जाने के संबंध में शासन के गाइड लाइन दर अनुसार लागू किए जाने हेतु दर निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रयोजन	मासिक खपत (किलो लीटर में)				
		0-11	11-15	15-25	25-50	50 से अधिक
		दर प्रति किलो लीटर (रूपए में)				
1.	घरेलु	5	6	7	8	9
2	आवास सह व्यवसाय	6	8	10	12	14
3	व्यवसायिक	9	11	14	18	22
4	औद्योगिक संस्थागत					
	1. शासकीय	8	10	12	14	16
	2. गैर शासकीय	10	12	14	16	18

उपरोक्त दर 1 मार्च 2022 से लागू किए जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. **महापौर परिषद की बैठक दिनांक 31.12.2021 समय सायं 04:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 19 :-** अध्यक्ष शौर्य नृत्य गडाई महोत्सव समिति अध्यक्ष का आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2021 का प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी माह दिसम्बर में आयोजन किया जाना है कार्यक्रम कराए जाने हेतु अनुदान राशि 51000 रु. का मांग किया गया है। जिसमें पूर्व की भांति इस वर्ष भी 25,000 रु. की राशि प्रदान करने की अनुसंशा की गई है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।
9. **महापौर परिषद की बैठक दिनांक 19.02.2021 के प्रस्ताव क्र. 17:-**
जिला कांग्रेस कमेटी शहर रायगढ़ द्वारा शहीद नंद कुमार पटेल जी की प्रतिमा जिला कांग्रेस कमेटी भवन के बगल में प्रतिमा स्थापित किये जाने पर विचार व निर्णय।
में लिये गये निर्णय अनुसार - स्वीकृत। नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु।
में लिये गये निर्णय अनुसार - परिषद की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
तदनुसार प्रकरण प्रस्तुत है।
10. **महापौर परिषद की बैठक दिनांक 31.12.2021 समय सायं 04:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 13 :-** कार्यालय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन का पत्र विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री छ.ग. शासन के द्वारा श्री अनिल शुक्ला, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जिला रायगढ़ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन किया गया है जिसमें शहीद चौक के मध्य से दोनो पुल के बीच में 46 असम रॉयफल्स के कमांडिंग ऑफिसर स्व. विप्लव त्रिपाठी जी की प्रतिमा लगाने की मांग किया गया है। जिसमें एम. आई.सी.द्वारा मिनी स्टेडियम स्थल को प्रस्तावित किए जाने की अनुसंशा की गई है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।
उक्त संबंध में सचिव उत्कल सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा भी रायगढ़ का भी आवेदन दिया गया है जिसमें स्थित स्टेडियम का नामकरण अमर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की स्मृति में हो।
प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।


निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)


सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)